

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
 विश्वविद्यालय के बाम हो है किया जावे ज
 कि विरीति अब प्रदानिकों के बाम से।
 तम्भवित विष्व एवं पूर्ण में पत्र
 व्यवहार हुआ हो तो पत्र प्रमाणक एवं दिवांक
 अवश्य किया जावे जिसके दरिका हो।



ग्राम : दूलीवारेटी
 दूरभाष : (0751) 2341896
 (0751) 2442829
 फ़ैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर
 क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2013/ 247

दिनांक: 07-05-2013

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध आवित्य महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-4029399) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित संचालित श्री.टी.एम. (प्रथम वर्ष), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अवधारणा विनाशुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. आरा. शर्मा, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
 (0751-2442602)

(संयोजक)

(2) डॉ. के.एस. ठाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. आर.जी. गण, आचार्य, पुस्तकालय एवं जूनांग विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(4) डॉ. के.एस. गुरुर्ज, उपाचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धोहर राशि, वाणिज्य शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुबंध/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिजेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विवेकितयों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 दिसंबर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विरीक्षणविनाशुसार विरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का विरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में विरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यालयी (महाविद्यालय विरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समग्र सम्बद्धता चंबंधी कार्यालयी पूर्ण हो सकेंगी तथा शासक के विदेशी का पालन सुविधित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त व होने की दियति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का विरीक्षण जर्नी हुआ है। विनाशुसार अर्थात् जमा कराकर वरीन समिति की जावेगी। जिसे 15 दिवस में विरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रालीले कर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वर्तुरियति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवीय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3 नम्बर 3
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समर्पण सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अवधर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)